जब बाल्टी ही लीक करे तो बांधों से क्या होगा?

साउथ एशियन नेटवर्क ऑफ डैम्स, रिवर्स एण्ड पीपुल नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। इस तरह की जानकारी संस्था की वेबसाइट www.sandrap.in पर उपलब्ध है।

यह एक शहर की सच्ची कहानी है। इस शहर को हर साल बरसात में उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा पानी मिलता है, लेकिन वह पानी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है।

ज़्यादा अर्सा नहीं बीता है। इस शहर में पानी के अनगिनत स्रोत थे, लेकिन उनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं और जो बचे हैं वे भी धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं।

इस शहर के बीच से एक बड़ी नदी बहती है, लेकिन शहर के लोगों ने नदी के सारे पानी का इस्तेमाल कर उसे एक गंदे नाले में बदल दिया है। शहर की सारी गंदगी बगैर उपचार किए उस नदी में डाल दी जाती है।

उस गंदगी का सही तरीके से शोधन करके गंदे पानी का उपयोग कई कामों में किया जा सकता है, लेकिन शहर को गंदे पानी के शोधन की कोई चिंता नहीं है। शहर में जल शोधन संयंत्र भी हैं, लेकिन एक तो उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और दूसरा वे पानी को इस तरह से शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि उसका इस्तेमाल किया जा सके।

शहर में किसी समय भूजल का स्तर बहुत ऊंचा था, लेकिन लोगों ने उसका इतना अंधाधुंध इस्तेमाल किया कि आज कई जगहों पर वह काफी नीचे चला गया है। इसके अलावा यह शहर पानी वाली ज़मीनों का भी खूब इस्तेमाल कर रहा है जिससे भी भू-जल के रिचार्ज सिस्टम को धक्का लगा है। नगर नियोजक और भी ऐसी जगहों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं।

शहर को सुदूर बांधों और नदियों से भी बहुत सारा पानी मिलता है जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो पूरे देश में सर्वाधिक है। हालांकि अधिकृत रिपोर्टों के अनुसार शहर को जितना पानी मिलता है, उसका कम से कम 40 फीसदी हिस्सा रिसाव में बर्बाद हो जाता है। लेकिन शहर ने इस रिसाव को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। दरअसल, शहर में पानी की सप्लाई करने वाले निकाय ने कई जगहों पर पानी की लाइनों में मीटर भी नहीं लगा रखे हैं जिससे यह भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर पानी की बर्बादी कहां हो रही है।

अब इस शहर को और भी पानी चाहिए। इसका एक तार्किक हल तो यह होगा कि पानी की अतिरिक्त मांग की आपूर्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से कम खर्चीला विकल्प चुना जाए। इन विकल्पों में रिसाव को कम करना, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण, भूमिगत जल को रिचार्ज करना, गंदे पानी का शोधन, एक निश्चित सीमा से ज़्यादा पानी का उपयोग करने वालों से अधिक कीमत वसूलना आदि हैं। लेकिन शहर को इनमें से किसी भी कार्य की परवाह नहीं है (जैसा कि उसने जानकारी का अधिकार के तहत मिली जानकारी में स्वीकार भी किया है)। इसकी बजाय उसने सैकड़ों किलोमीटर दूर एक विशालकाय बांध बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस शहर में इतनी ताकत है कि नया बांध बनाने के लिए ज़रूरी 4 हज़ार करोड़ रुपए सरकार से आसानी से निकलवा सकता है।

समस्या क्या है?

कई छोटी-छोटी दिक्कतें हैं। नए बांध की वजह से कम से कम 2200 हैक्टर जमीन डूबेगी, 37 गांवों के

हज़ारों लोग विस्थापित होंगे, कम से कम 1300 हैक्टर में फैले घने जंगल नष्ट हो जाएंगे जिसमें एक वन्य जीव अभयारण्य का कुछ हिस्सा भी शामिल होगा, एक वेटलैंड (रामसर साइट) भी प्रभावित होगी, धार्मिक महत्व के कई स्थल डूब जाएंगे। इससे नदी भी खत्म हो जाएगी और इस प्रकार नदी से मिलने वाले कई लाभों से भी लोग वंचित हो जाएंगे। इससे कार्बन सोखने वाले जंगल नष्ट हो जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग का एक नया स्रोत तैयार हो जाएगा। यहां तक कि परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया है, "पाया गया कि परियोजना से प्रभावित होने वाले 95.62 फीसदी परिवार भी इस परियोजना के पक्ष में नहीं हैं।"

विश्वास नहीं होता?

जैसा कि शुरू में ही कहा गया था, यह एक सच्ची कहानी है। यहां जिस शहर का उल्लेख किया गया है, वह हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। प्रस्तावित बांध हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में यमुना की सहायक गिरि नदी पर प्रस्तावित रेणुका बांध है। हालांकि अभी बांध की राह में कई बाधाएं हैं। इसे पर्यावरण, वन, तकनीकी-आर्थिक, योजना आयोग और अन्य कई निकायों की मंज़ूरी मिलनी बाकी है। अभी तो परियोजना का कोई विधिक आधार भी नहीं है। हालांकि इसके समर्थकों का दावा है कि यह परियोजना मई और नवंबर 1994 में हिमाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बीच हुए समझौतों का नतीजा है। लेकिन केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार चूंकि इन समझौतों पर एक राज्य (राजस्थान) ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए यह कानूनी तौर पर विधिसम्मत नहीं हैं। हरियाणा पहले से ही इन समझौतों की वैधता और रेणुका बांध का विरोधी रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी *रेणुका बांध संघर्ष समिति* और *हिमालय नीति अभियान* इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

परियोजना का सामाजिक प्रभाव आकलन तब तक अधूरा है, जब तक कि इसके लिए आवश्यक भूमि चिन्हित नहीं कर ली जाती। इसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जो अधिकतम जल स्तर 772.5 मीटर पर प्रभावित होगा। यह बांध के पूर्ण भराव के स्तर (766 मीटर) से कहीं ज़्यादा है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में जिस डूब क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, वह केवल 766 मीटर जल स्तर के हिसाब से है, न कि 772.5 मीटर के हिसाब से, जबकि पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बांध में 766 से 772.5 मीटर के बीच 7504 हैक्टर-मीटर अतिरिक्त पानी भी संग्रहित किया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि जब पानी 772.5 मीटर के स्तर पर पहुंचेगा तो कितनी अतिरिक्त भूमि डूब में आएगी, कितनी अतिरिक्त संपत्ति डूब जाएगी, 772.5 मीटर के स्तर पर बैकवाटर का कितना प्रभाव रहेगा तथा इस स्तर पर और कितने लोग बैकवाटर-प्रभावित होंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट ने परियोजना की वजह से पैदा होने वाले कई अन्य सामाजिक प्रभावों को भी शामिल नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश में 50 साल पहले बनाए गए भाखड़ा, पोंग और कोल जैसे विशालकाय बांधों की वजह से विस्थापित हुए लोग आज भी अपने पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं के समाधान में हिमाचल प्रदेश की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। उसे कोई हक नहीं बनता है कि वह और लोगों को विस्थापित करे।

दिल्ली जल बोर्ड की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जल वितरण के दौरान पानी की क्षति कुल जलापूर्ति की 40 फीसदी है जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक 15 फीसदी से बहुत ज़्यादा और असामान्य है। दिल्ली को रोज़ाना 95 करोड़ गैलन पानी मिलता है और 40 फीसदी नुकसान पानी की उस मात्रा के बराबर है जो रेणुका बांध से दिल्ली को मिलना प्रस्तावित है।

परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में मूलतः कई खामियां हैं - जैसे इसमें कई विकल्पों का आकलन नहीं किया गया है, बहने वाली नदी का

मूल्यांकन नहीं किया गया है और न ही जलवायु परिवर्तन पर परियोजना के प्रभाव और परियोजना पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का कोई आकलन किया गया है। इस मामले में हुई जन सुनवाई में भी कई नियमों का उल्लंघन किया गया था। जैसे स्थानीय लोगों को इसके बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था, सम्बंधित दस्तावेज़ स्थानीय भाषा में उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार परियोजना के लिए भूमि अर्जित करने के लिए आपातकालीन शर्तें लागू कर रही है जो विधिक मानदंडों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन है।

रेणुका बांध जन संघर्ष समिति के संयोजक योगिन्दर कपिल ने बताया कि बांध प्रभावित लोगों ने रेणुका बांध के निर्माण के विरोध स्वरूप चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया था। सिरमौर ज़िले में बांध के निकट स्थापित दो मतदान केंद्रों में दर्ज 450 मतदाताओं में से एक ने भी वोट नहीं डाला।

हाल ही में बांध से प्रभावित लोगों सहित एक व्यापक समूह द्वारा हस्ताक्षरित एक विस्तृत ज्ञापन प्रधान मंत्री सहित कई बड़े लोगों को भेजा गया है। इस ज्ञापन में बताया गया है कि चूंकि इस बांध के निर्माण का कोई तार्किक आधार नहीं है और इसलिए इसका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

नगर निगम के अधिकारी उन लोगों को जल माफिया कहते हैं जो अपने पाइपों से पानी चुराकर उसे दूसरों को बेचते हैं। तो बांध परियोजना को आगे बढ़ाने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? उम्मीद है कि सम्बंधित लोगों को सद्‌बुद्धि आएगी और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व अन्य जगहों के लोग और अधिकारी इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ***(स्रोत फीचर्स)***